

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय-तल, बी-ब्लॉक, उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर)

क्रमांक: प.1(6)ग्रा.वि./आरजीएवीपी/2011/3070-62

जयपुर, दिनांक : 25.07.2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में जिला परियोजना प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक (वित्त) के रिक्त पदों को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद विशेष चयन नियम, 2011 के प्रावधानों के तहत प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु राजीविका द्वारा सक्षम स्तर पर गठित विशेष चयन समिति द्वारा दिनांक 18.07.2018 एवं 19.07.2018 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर निम्नांकित अधिकारियों का चयन किया जाता है:-

1. जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर विशेष चयनित अधिकारियों की सूची :-

क्र.स.	कार्मिकों का नाम	पैतक विभाग
1.	श्री बजरंग लाल सैनी	माध्यमिक शिक्षा विभाग
2.	श्री एन.के बंसल	श्रीगंगानगर कॉटन कम्पलैक्स
3.	श्री राम चरण मीना	वित्त विभाग
4.	श्री तारा चंद्र	पंचायतीराज विभाग
5.	श्री तेज सिंह	माध्यमिक शिक्षा विभाग
6.	श्री विमल चन्द्र वशिष्ठ	श्री गंगानगर कॉटन कम्पलैक्स
7.	श्री ओम प्रकाश	माध्यमिक शिक्षा विभाग
8.	श्री नरेन्द्र कुमार टांक	माध्यमिक शिक्षा विभाग
9.	श्री संतलाल	माध्यमिक शिक्षा विभाग
10.	डा. मुकेश कुमार जाटव	पशुपालन विभाग
11.	श्री रोहितान सिंह	माध्यमिक शिक्षा विभाग
12.	श्री राम निवास मीणा	निदेशालय, कोष एवं लेखा
13.	श्री भंवर सिंह	माध्यमिक शिक्षा विभाग
14.	श्री संदीप कुमार	माध्यमिक शिक्षा विभाग
15.	श्री रधुवीर सिंह चारण	पशुपालन विभाग
16.	डा. डी.डी. गौतम	माध्यमिक शिक्षा विभाग
17.	श्री हरिश चन्द्र गुप्ता	माध्यमिक शिक्षा विभाग
18.	श्री अजय कुमार टांक	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
19.	श्री रामफूल मीणा	आयोजना विभाग
20.	श्री दिनेश कुमार बोहरा	सहकारिता विभाग

2. जिला प्रबंधक (वित्त) के पद पर विशेष चयनित अधिकारियों की सूची :-

क्र.स.	कार्मिकों का नाम	पैतक विभाग
1.	श्री प्रदीप जोशी	निदेशालय, कोष एवं लेखा
2.	श्री भगवत सिंह	निदेशालय, कोष एवं लेखा
3.	श्री बजरंग सिंह जांगिड़	निदेशालय, कोष एवं लेखा

इन कार्मिकों को इनके पैतृक विभाग में वर्तमान ग्रेड-पे (लेवल) पर परिषद में प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

उपरोक्त कार्मिक को अन्य भत्ते परिषद के नियमानुसार दिये जायें तथा उनका लियन उनके पैतृक विभाग में रहेगा। इनको कार्यमुक्त करने पर पुनः मूल पद के वेतनमान पैतृक विभाग के अनुसार रहेंगे।

चयनित कार्मिक अपने मूल विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर पैतृक विभाग की N.O.C तथा उनके विरुद्ध किसी भी तरह की विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है, का प्रमाण-पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करेंगे।


उपरोक्त कार्मिकों को चयन प्रथमतः प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्ष के लिये है, जिसे नियमानुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार एक-एक वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकेगा, किन्तु परियोजना अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रतिनियुक्ति 5 वर्ष से अधिक के लिये नहीं होगी। इससे पूर्व भी निम्न स्थितियों में बिना कारण बताये परियोजना से कार्यमुक्त कर उनके पैतृक विभाग में वापस भेजा जा सकता है :-

1. यदि कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।
2. यदि कार्मिक की सेवाओं की आवश्यकता इस परियोजना को नहीं हुई।
3. यदि कार्मिक स्वच्छा से कार्य छोड़ना चाहे।

चयनित कार्मिक को अपने पैतृक विभाग से N.O.C के साथ दिनांक 10.08.2018 तक अपना कार्यग्रहण करना है, साथ ही N.O.C प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की जायेगी।


उपरोक्त चयनित कार्मिकों द्वारा राजीविका परियोजना में जिला परियोजना प्रबंधक पर पदस्थापन से पूर्व आठ दिवस का Immersion व एक माह के Probation काल पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। Probation काल के सफलापूर्वक पूर्ण किये जाने पर चयनित कार्मिकों को जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर पदस्थापित किया जावेगा। इस अवधि में उन्हें वेतन व यात्रा भत्ता नियमानुसार होगा।

यह राजीविका में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


24/8/2018
परियोजना निदेशक
(एलपीएण्डएसएचजी), राजीविका

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका मुख्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जन पथ, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, श्रीगंगानगर कॉटन कम्पलैक्स, श्रीगंगानगर।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
10. राज्य परियोजना प्रबंधक (एचआर), राजीविका मुख्यालय, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी श्री.....।
12. मानक प्रचलन कार्यालय, हाजा मुख्यालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


24/1/2018
परियोजना निदेशक
(एलपीएण्डएसएचजी), राजीविका